



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 197 राँची, सोमवार, 12 चैत्र, 1946 (श०)
1 अप्रैल, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

12 जनवरी, 2024

संख्या-5/आरोप-1-116/2017-8424(HRMS)--श्री प्रभाष चन्द्र दास, झा०प्र०से० (तृतीय 'सीमित' बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पोटका, जिला-पूर्वी सिंहभूम के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3526, दिनांक 11.07.2017 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने, योजनाओं (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं मनरेगा) के क्रियान्वयन में उदासीनता बरतने, मनरेगा अन्तर्गत ससमय मजदूरों का भुगतान नहीं करने तथा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा-3(3) का उल्लंघन करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10012, दिनांक 20.09.2017 द्वारा श्री दास से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री दास के पत्रांक-1178, दिनांक 16.10.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री दास के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-12194, दिनांक 14.12.2017 एवं स्मार पत्रों द्वारा ग्रामीण विकास विभाग से मंतव्य की माँग की गयी। ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-1511, दिनांक 12.04.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया ।

श्री दास के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत श्री दास के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-3723, दिनांक 03.07.2023 एवं पत्रांक-4743, दिनांक 21.08.2023 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी है ।

श्री दास के पत्रांक-632, दिनांक 01.09.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया है। समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उनके द्वारा मनरेगा के कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाने हेतु लगातार क्षेत्र भ्रमण कर, जनसंवाद स्थापित कर एवं नियमित समीक्षा बैठकों को सम्पन्न कर प्रखण्ड में मनरेगा के निर्धारित मापदंडों में आवश्यक सुधार लाने हेतु प्रयास किया गया। फलतः पोटका प्रखण्ड में मनरेगा के कार्यों में अपेक्षित सुधार निरंतर होता रहा और प्रखण्ड हमेशा 30/50 खराब प्रखण्डों की सूची में से बाहर रहा। उनके द्वारा अगस्त 2018 में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का प्रभार सौंपने तक प्रखण्ड मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, पेंशन सहित कई महत्वपूर्ण कार्यों में प्रगति कर चुके थे। उनके कार्य से संतुष्ट होकर तत्कालीन उपायुक्त द्वारा APAR में 8.00 ग्रेडिंग भी दिया गया है। उनके द्वारा अन्य सभी कार्यों का ससमय निष्पादन किया गया एवं वरीय अधिकारियों के आदेश एवं निर्देशों का पालन किया गया ।

श्री दास द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो उनके द्वारा पूर्व में अपने स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। उसके अतिरिक्त उनके द्वारा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनके स्पष्टीकरण पर पूर्व में विचार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड प्रस्तावित की गई है ।

अतः समीक्षोपरांत, श्री प्रभाष चन्द्र दास, झा०प्र०से० (तृतीय 'सीमित' बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पोटका, जिला-पूर्वी सिंहभूम द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री प्रभाष चन्द्र दास, झां०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PRABHAS CHANDRA DAS JHK/JAS/301	श्री प्रभाष चन्द्र दास, झां०प्र०से० (तृतीय 'सीमित' बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पोटका, जिला-पूर्वी सिंहभूम के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
